

**FORM NO. III**

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम गण्डावर(दौसा)

**तहसीलदार बैजूपाडा बनाम रामेश्वरी**

किस्म मुकदमा - प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956

मु.न. 797 / 2025

नाम्बर व तारीख

अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए

तारीख  
हुकम

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

28.10.2025

मह प्रार्थना पत्र "ग्रामीण सेवा शिविर-2025" के दौरान राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 के तहत पटवारी, पटवार हल्का पून्दरपाडा ने उपस्थित होकर पेश किया। प्रार्थना पत्र बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया गया। पटवारी हल्का पून्दरपाडा के निवेदन पर सुना गया। पटवारी हल्का ने निवेदन किया कि वाके ग्राम खैरपुर पटवार हल्का पून्दरपाडा तहसील बैजूपाडा जिला दोसा स्थित भूमि जमाबन्दी संवत् 2075-78 में खाता संख्या 34 के खातेदार रामेश्वरी पुत्री रतनलाल हिस्सा 1/21 जाति मीना सा. देह खातेदार राहिन हिस्सा 1/21 (पूर्ण खाता) स्टेट बैंक ऑफ वीकानेर एण्ड जयपुर शाखा बांदीकुई के स्थान पर भारतीय स्टेट बैंक शाखा बांदीकुई दुरुस्त किया जावे। पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखीय दस्तावेजात व तहसीलदार बैजूपाडा की रिपोर्ट का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। आवेदन पत्र के साथ भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 22.02.2017 की प्रति पेश की गई। तहसीलदार बैजूपाडा की रिपोर्ट दिनांक 09.10.2025 स जांच रिपोर्ट प्राप्त हुई। अतः उपरोक्त विवेचन स्वरूप तथा तहसीलदार बैजूपाडा की स्पष्ट अभिशंका के आधार पर प्रार्थी का हस्तगत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर. एक्ट 1956 के अन्तर्गत स्वीकार किया जाना उचित पाया जाता है।

**आदेश**

हस्तगत प्रार्थना पत्र धारा अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 स्वीकार किया जाकर वाके ग्राम खैरपुर पटवार हल्का पून्दरपाडा तहसील बैजूपाडा जिला दोसा स्थित भूमि जमाबन्दी संवत् 2075-78 में खाता संख्या 34 के खातेदार रामेश्वरी पुत्री रतनलाल हिस्सा 1/21 जाति मीना सा. देह खातेदार राहिन हिस्सा 1/21 (पूर्ण खाता) स्टेट बैंक ऑफ वीकानेर एण्ड जयपुर शाखा बांदीकुई के स्थान पर भारतीय स्टेट बैंक शाखा बांदीकुई दुरुस्त किये जाने के आदेश दिये जात हैं। तहसीलदार बैजूपाडा को राजस्व रिकॉर्ड में अमल दरामद किये जाने हेतु तहरीर जारी हो। पत्रावली फैंसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमिल दाखिल दफतर हों।

निर्णय आज दिनांक 28.10.2025 को सुनाया गया।

(अमित कुमार वर्मा) R.A.S.

उपखण्ड अधिकारी

उपखण्ड अधिकारी

गण्डावर (दौसा)